

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज.)

फिसल संख्या :- 278/2022

:- आदेश :-

दिनांक :- 25-11-2022

प्रार्थीयागण के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र व तहसीलदार खेतड़ी की अभिशंषा रिपोर्ट क्रमांक राजस्व/2022/890 दिनांक 18.08.2022 के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम चारावास की जमाबन्दी सम्वत् 2073-2076 के हाल खाता संख्या 182, 183, 184, 185 व 186 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) खेतड़ी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है। खाते की शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। रहन यदि कोई हो, तो रहन मुक्त होने पर ही आदेश का अमल हो।

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1.	चारावास	182	बबली पुत्र प्रताप मुनिया पत्नी प्रताप	शकुन्तला पुत्री प्रताप सिंह मन्नी देवी पत्नी प्रतापसिंह
2.	चारावास	183	बबली पुत्र प्रताप मुनिया पत्नी प्रताप	शकुन्तला पुत्री प्रताप सिंह मन्नी देवी पत्नी प्रतापसिंह
3.	चारावास	184	बबली पुत्र प्रताप मुनिया पत्नी प्रताप	शकुन्तला पुत्री प्रताप सिंह मन्नी देवी पत्नी प्रतापसिंह
4.	चारावास	185	बबली पुत्र प्रताप मुनिया पत्नी प्रताप	शकुन्तला पुत्री प्रताप सिंह मन्नी देवी पत्नी प्रतापसिंह
5.	चारावास	186	बबली पुत्र प्रताप मुनिया पत्नी प्रताप	शकुन्तला पुत्री प्रताप सिंह मन्नी देवी पत्नी प्रतापसिंह

(जय सिंह)

उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी

क्रमांक :- राजस्व/2022/1931-32

दिनांक :- 28-11-22

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार (भू0अ0) खेतड़ी को वास्ते पालनार्थ।
2. प्रार्थीयागण मन्नी देवी पत्नी प्रतापसिंह, शकुन्तला पुत्री प्रतापसिंह जाति जाट निवासी आनन्दपुरी कॉलोनी वार्ड नम्बर 9 गोठड़ा तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं को वास्ते सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी